बैठक — महापौर बोले- जिनके घर कांच के वो पत्थर नहीं उछालते, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- जिसको जो करना है वो कर ले...

सदन बना अखाड़ा, गहमा-गहमी के बीच बैठक स्थगित

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम की स्थगित विशेष (बजट) बैठक बुधवार को गहमा गहमी भरे माहौल, आपसी खींचतान और शायराना अंदाज के नाम रही। सत्ता व विपक्ष के बीच जब गहमा गहमी ज्यादा बढ़ी तो नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने बजट बैठक स्थगित कर दी और कहा कि ये बैठक गुरुवार को नए माहौल में शुरू होगी। जानकारी के अनुसार बजट बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने पहले कांग्रेसियों पर प्रहार कर शायराना अंदाज में कहा कि जिसके घर कांच के हों उनको पत्थर नहीं उछालना चाहिए, हमें सब पता है कि कौन कितने पानी में है, अगर मैंने नाम लिया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बस फिर क्या था, जवाब में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा भी मैदान में उतरे और उन्होंने दो टूक कहा कि महापौर जी हम तो जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे, हम लोगों का विरोध करना जिसको बुरा लगा हो तो लगता रहे और जिसको जो कुछ करना है वह कर ले हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बैठक में गौमाता निधि, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, पार्षद मद के रूके हुए कार्य, गंदा पानी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई और सत्ता व विपक्ष के पार्षदों ने अपनी अपनी बातें रखीं। इस दौरान विपक्ष के पार्षदों ने सत्ता पक्ष को घेरा तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के पार्षद विकास कार्य गिनाते नजर आये। इस दौरान महापौर ये कहते हुये नजर आये कि आगामी 1.5 वर्षों के भीतर शहर के चौतरफा विकास के लिए 3,000 करोड़ रूपये के नए कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा।

सदन के अंदर नेताप्रतिपक्ष का व्यवहार अशोभनीय: जीतू कटारे

नगर निगम सदन की बैठक के दौरान हुए हंगामे और बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ पार्षद जितेंद्र कटारे ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को ताक पर रखकर जिस तरह का आचरण किया गया, वह पूरी तरह से अशोभनीय और अमर्यादित है।

श्री कटारे ने ये भी कहा कि सदन के भीतर जिस तरह की भाषा और वाक्यों का प्रयोग कांग्रेस पार्षदों द्वारा किया गया, वह लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सदन में उपयोग किए गए ये असंसदीय वाक्य कांग्रेस को गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय कांग्रेस केवल शोर-शराबे और अपमानजनक टिप्पणियों पर उतारू है।

बजट पेश करती ही विपक्ष का हंगामा निंदनीय: महापौर

महापौर ने विपक्ष द्वारा बजट के दौरान किए गए बहिर्गमन को विकास कार्यों में बाधा बताते हुए इसकी निंदा की और दोहराया कि शहर की प्रगति की गति और तेज की जाएगी। बुधवार को सदन की बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शहर विकास को लेकर सार्थक एवं सारगर्भित उद्बोधन देते हुए कहा कि सदन में जो बजट विकास पर आधारित बजट पेश किया गया है, वह बजट संस्कारधानी के संस्कारों के अनुरूप विकास कार्यों को जमीनी धरातल पर उतारने और शहर को तेजी से महानगर का स्वरूप प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के लिए पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य किए गए हैं जिसमें 650 करोड़ की लागत से शहर भर में नाला-नालियों और सड़कों का जाल बिछाया गया है। 100 करोड़ की लागत से उद्यानों का कायाकल्प किया गया है। 50 करोड़ रुपये की राशि से जल आपूर्ति व्यवस्था और 20 करोड़ रुपये की राशि से प्रकाश व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर व्यय किए गए हैं। वहीं वर्तमान में करीब 1,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य शहर में तेजी से चल रहे हैं। महापौर ने कहा कि स्वच्छता में देश में 5वां स्थान, वायुगुणवत्ता में दूसरा स्थान देश में प्राप्त करने के साथ नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सर्वाधिक राजस्व वसूली का नया कीर्तिमान भी स्थापित किया गया है।

पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश

नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में सौ फीसदी महिला आरक्षण मामला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में पुरुष अभ्यर्थियों को शामिल करने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने उक्त अंतरिम आदेश देते हुए आवदेकों के परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही मामले में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। उक्त पदों में महिलाओं को सौ फीसदी आरक्षण दिये जाने को चुनौती दी गई थी।

दरअसल संतोष कुमार लोधी व अन्य पुरुष अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हाल ही में जारी नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर अधिवक्ता विशाल बघेल ने बताया कि कर्मचारी चयन मंडल के विज्ञापन (नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर भर्ती परीक्षा-2026) में नर्सिंग ऑफिसर के पदों को 100 प्रतिशत केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इससे योग्य पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करने से पूरी तरह वंचित हो गए हैं। दलील दी गई कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2023 के तहत नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए कोई जेंडर आधारित प्रतिबंध नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती विज्ञापन में किया गया यह प्रावधान संवैधानिक नियमों के विपरीत है। तर्क दिया गया है कि पुरुष और महिला दोनों एक ही पाठ्यक्रम (बीएससी नर्सिंग-जीएनएम) पढ़ते हैं और उनके पास समान योग्यता व पंजीकरण होता है। केवल जेंडर के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से पूर्णतः बाहर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

लोन के नाम पर बैंक के साथ धोखाधड़ी

सीबीआई ने मैनेजर सहित 9 व्यक्तियों को किया सजा से दंडित

जबलपुर। बैंक के साथ लोन के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ सीबीआई ने 9 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय ने चालान पेष किया था। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर, फील्ड अधिकारी सहित सभी 9 व्यक्ति को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों पर 11 लाख 20 हजार रुपये को जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक तेंदुखेडा में फरवरी से मई 2020 के बीच मेसर्स एम के इंटरप्राइजेज ने लोन के लिए आवेदन किया था। आवेदकों की तरफ से खुद को दाल मिल का संचालक बनाया गया था। इसके अलावा वेयर हाउस में दाल का स्टॉक रखे होने की रसीद पाई गई थी। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जांच में पाया कि वेयर हाउस संचालक के साथ मिलीभगत कर दाल का स्टॉक होने की फर्जी रसीद प्रस्तुत कर लोन लिया गया है। वास्तव में वेयर हाउस में दाल का कोई स्टॉक नही था। सीबीआई ने जांच में पाया था कि तत्कालीन बैंक मैनेजर मैनेजर केएस राउत, फील्ड ऑफिसर विजय कुमार मालवीय, आशीष सिंधई, योगेंन्द्र सिंधई, श्रीमति मणि सिंधई, प्रियंका योगेन्द्र सिंधई, संतोष सिंधई, संगीता जैन एवं विष्णु बहादुर सिंह के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के 1 करोड़ 66 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गयी है। सीबीआई ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण जर्द कर न्यायालय में चालान पेष किया था। विशेष न्यायाधीश रूपेष कुमार गुप्ता ने सुनवाई के दौरान पेष किये गये गवाह व साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। सीबीआई के तरफ से लोक अभियोजन अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने पैरवी की।

जेल से पेशी पर आए आरोपी से मिलने पहुंचा छोटा राजन गैंग का शूटर

समझौता करने कोर्ट परिसर में बनाया दबाव, अधिवक्ताओं को धमकाया

सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस जांच में जुटी

जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत जिला न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक कुख्यात गैंगस्टर और छोटा राजन गैंग का कथित शूटर जेल से पेशी पर आए आरोपी से मिलने पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान बदमाश ने समझौता करने दबाव बनाया बल्कि अधिवक्ताओं को भी धमकाया। सूत्रों के मुताबिक मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस छानबीन में जुट गई है। नवभारत से चर्चा के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वे विगत दिवस 13 अप्रैल 2026 को जिला न्यायालय जबलपुर में कोर्ट नं. 50 में मप्र शासन विरूद्ध स्वप्निल ब्यौहार में पीड़िता अपर्णा चक्रवर्ती की गवाही कराने कोर्ट गए थे। तब वहाँ पर जबलपुर जेल से आरोपी स्वप्निल ब्यौहार पिता परमलाल ब्यौहार अपने साले अमित खरे एवं पत्नि रितु ब्यौहार के साथ कोर्ट रूम के सामने पति स्वाप्रिल ब्यौहार एवं एक अन्य अंतर्राज्यीय कुख्यात गैंगस्टर अरूण तिवारी के साथ बातचीत हो रही थी, जिसके संबंध में हम लोगों द्वारा कोर्ट रूम में न्यायाधीश से भी आपराधी के बारे में बताया था एवं उसके कोर्ट रूम में उपस्थित रहने पर आपत्ति दर्ज करायी थी।

पुलिस की भूमिका संदिग्ध आरोपी की हथकड़ी खोली

अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा नियमों को ताक में रखा। अपराधी पुलिस के सामने ही आरोपी स्वप्निल ब्यौहार से काफी देर तक एकांत में बात करता रहा, एवं पुलिसकर्मियों ने उसे हथकड़ी से मुक्त कर बात करने स्वतंत्र

कर दिया था, आरोपी स्वप्निल ब्यौहार द्वारा उद्देश्यात्मक ढंग से एक आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था, वह अपनी पैरवी स्वयं करेगा, जबकि उसकी पैरवी करने अधिवक्ता नियुक्त है।

जेल में बैठकर मरवा सकता हूं गोली

अधिवक्ता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि विगत एक पेशी के दौरान स्वप्निल ब्यौहार द्वारा कोर्ट परिसर में उनके जूनियर अधिवक्ता से कहा मैं जेल में बैठे-बैठे तुम्हारे सीनियर को गोली मरवा सकता हूँ। अरुण तिवारी न्यायालय परिसर में स्वयं उपस्थित दिखा जो समझौता करने दवाब बना रहा था और ऐसा न करने पर बुरे परिणाम होने की धमकी दे रहा था। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट परिसर में लगे कैमरों से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

डीजीपी तक पहुंची शिकायत

अधिवक्ता ने बताया कि जब उन्होंने अरूण के सबंध तिवारी के संबंध में जानकारी जुटाई तो वे वाराणसी, उत्तरप्रदेश का कुख्यात अपराधी निकला और वे छोटा राजन गैंग से संबंधित शूटर है जो कि स्वप्निल ब्यौहार की पत्नि एवं साले अमित खरे के संरक्षण में विगत कई दिनों से जबलपुर में उसके घर में ही रह रहा है। अधिवक्ता ने कुख्यात गैंगस्टर अरुण तिवारी एवं स्वप्निल ब्यौहार, उसकी पत्नि एवं साले अमित खरे के खिलाफ गंभीर घटना कारित करने की योजना बनाने, अधिवक्ताओं को धमकाने, न्यायालयीन प्रकिया में बाधा उत्पन्न करने मामला दर्ज करने के साथ जिन पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपी को सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी थी, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। मामले की शिकायत डीजीपी तक पहुंची है। अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक, जबलपुर जोन आईजी, ओमती, संजीवनी नगर थाने में भी शिकायत की है। इसके अलावा प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी भेजी है।

दाऊद की जासूसी के साथ अंतरर्राज्यीय हिस्ट्रीशीटर है अरुण

सूत्रों के मुताबिक अरूण तिवारी अंतरराज्यीय हिस्ट्रीशीटर है और छोटा राजन गिरोह से लेकर भदौरिया गिरोह और गुरू साटम गैंग में रह चुका है। तिवारी यूपी के फूलपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उस पर यूपी के अलावा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मप्र के जबलपुर, बीना, इंदौर व खंडवा में भी प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जासूसी के लिए तिवारी को छोटा राजन ने 1995-96 में पाकिस्तान भिजवाया था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रहकर उसने दाऊद के ठिकानों का पता लगाया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लेकर आसाम और नागालैंड तक गिरोह फैला था। अरुण छह से ज्यादा भाषाओं का जानकार है।

इनका कहना है

मामले की शिकायत हुई है अभी मैं पुलिस मुख्यालय भोपाल आया हूं, फिलहाल एफआईआर नहीं हुई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

राजपाल सिंह बघेल
ओमती टीआई

रिटायर्ड आर्मी मैन ने साथी समेत राइफल से चलाई गोलियां

नशे में धुत्त रसूखदारों की पनागर में गुंडागर्दी एफआईआर दर्ज

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम बड़ेरा कला में बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रिटायर्ड आर्मी मैन ने रसूखदार साथी के साथ शराब के नशे में धुत होकर सरेराह राइफल से हवाई फायरिंग कर गोलियां चला दी। खेत में गोलियों की आवाज गूंजी जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से प्रतिबंधित 303 राइफल, कारतूस और एक लग्जरी कार

जब्त की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बीती रात सूचना मिली कि ग्राम बड़ेरा कला के पास कटैया मोड़ पर खेतों की ओर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां मौजूद सिद्धार्थ पटेल ने पुलिस को बताया कि कुछ ही दूरी पर खड़ी एक ग्रे-काले रंग की महिंद्रा मेजर कार में सवार लोग हथियार लहरा रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए संदिग्ध कार को चारों तरफ से घेर लिया। कार में सवार दोनों व्यक्ति नशे में इतने धुत्त थे कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अरुण चिंगप्पा (62) निवासी आदर्श नगर, रामपुर चौक और गार्डन पॉप्टिस (61) निवासी बिलहरी बताया।

बिना लाइसेंस के लहरा रहे थे राइफल-बंदूक

तलाशी के दौरान पुलिस को कार से एक 303 राइफल और एक 22 बोर की बंदूक मिली। जब पुलिस ने इनसे हथियारों के वैध लाइसेंस मांगे, तो आरोपियों ने लाइसेंस दिखाने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने जोश में आकर हवाई फायरिंग की थी।

राइफल, बंदूक, कारतूस, कार, खोखा जब्त

पुलिस ने मौके से एक 303 राइफल और 22 बोर बंदूक, मैगजीन में लोड 2 जिंदा कारतूस, एक अलग कारतूस और एक खाली खोखा, महिंद्रा मेजर कार क्रमांक केए 12 एन 4252 को जप्त किया। आरोपी रिटायर्ड आर्मी मैन अरूण चिंगप्पा पिता स्व. सैमुअल चिंगप्पा एवं गार्डन पॉप्टिस पिता स्व. सी.जे. पॅप्टिस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

जनगणना कार्य 2027 : पहले दिन प्रशिक्षण से गायब रहे 40 पर्यवेक्षक

नवभारत,जबलपुर। जनगणना कार्य 2027 अंतर्गत नगर निगम के 16 संभाग में से संभाग क्र. 3,4,5,7,8,9,10 के चार्ज अधिकारियों से संबंधित प्रगणक/पर्यवेक्षक के संख्या 883 का त्रि-दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हुआ जो कि आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी. आई.) माढोताल जबलपुर में 17 अप्रैल तक चलेगा। जानकारी के अनुसार इस प्रशिक्षण में कुल 883 में से 40 पर्यवेक्षक अनुपस्थित पाये गये । इन अनुपस्थित पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित चार्ज

अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और निर्देशित किया गया है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के ड्यूटी से अनुपस्थित न हो एवं जनगणना कार्य गम्भीरता से करें।

इन संभागों में भी होंगे प्रशिक्षण

निगम प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण कार्य हेतु आई.टी.आई जबलपुर परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएँ कलेक्टर जबलपुर एवं आयुक्त नगर निगम जबलपुर के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से की गई हैं। नगर निगम जबलपुर के शेष अन्य चार्ज (जोन) से संबंधित प्रगणक / पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण आई.टी.आई में ही आगामी दिनांको संभाग क्र. 06,11,12,13,14,16 के लिए 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जोन क्र. 01,02,15 के लिए 23.04.2026 से 25.04.2026 तक किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी की टीम तैनात की गई है।

बस की टक्कर से साले की मौत, बहनोई घायल

गेहूं लेकर दोनों बाइक से लौट रहे थे घर

जबलपुर। कुण्डम थाना अंतर्गत गैस गोदाम के पास बुधवार दोपहर गेहूं लेकर घर लौट रहे साला-बहनोई सड़क हादसे का शिकार हो गए। बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में साले की मौत हो गई। बहनोर्ठ घायल हो गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कुटी घाट निवासी अठई राम प्रजापति (50) बुधवार दोपहर अपने साले मुरारी लाल प्रजापति (56) के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम जुझारी गया था वहां से मोटरसाइकिल पर गेहूं लदवाकर दोनों वापस कुण्डम की ओर लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:55 बजे, जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल कुण्डम स्थित गैस गोदाम के पास पहुंची, सामने से आ रही एक बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक समेत सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में अठई राम बेहोश हो गए, जबकि मुरारी लाल के सिर पर गंभीर चोट आई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुण्डम ले जाया गया। अस्पताल में जब अठई राम को होश आया, तब उन्हें पता चला कि उनके साले मुरारी लाल प्रजापति की मौके पर ही मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मुरारी लाल को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने अठई राम के बयानों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।

बाइक ने युवक को कुचला, मौत

हनुमानताल थाना अंतर्गत भानतलैया स्थित बकरा मंडी के पास बीती रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के चालक ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में तैनात 108 एम्बुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अमर पटेल ने बताया कि बीती रात करीब 8:52 बजे उन्हें बकरा मंडी में एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। वे तत्काल चालक आदर्श चौहान के साथ मौके पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद आक्रोशित लोगों ने मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 वाय एफ 2910 के चालक को पकड़ लिया था। पूछताछ में बाइक चालक ने अपना नाम अदनान काजी निवासी लेमा गार्डन, गोहलपुर बताया। टक्कर मारने वाले आरोपी चालक को भी आंख के पास मामूली चोटें आई हैं। एम्बुलेंस कर्मियों ने घायल अज्ञात व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने परीक्षण के बाद अज्ञात व्यक्ति लगभग 40 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने आरोपी अदनान काजी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर बाइक जब्त कर ली है। साथ ही मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं।